न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 740/2021

सरकार बनाम फहीम आदि।

अं० धारा– 363, 366, 376 भा०दं०सं०

एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 53/2021

थाना– बाबूगढ़, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 08.03.2022

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण फहीम एवं गोपी उर्फ गगनदीप जेरे हिरासत उपस्थित आये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त फहीम के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 366, 376 एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम तथा अभियुक्त गोपी उर्फ गगनदीप के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 376 एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 31.03.2022 को पेश हो।

दिनांकः– 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)

(J.O. CODE–UP01645)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,हापुड़।

Shweta

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2022.03.12 11:56:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद सं०– 740/2021
सरकार बनाम फहीम आदि।
अं० धारा– 363, 366, 376 भा०दं०सं०
एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम।
मु०अ०सं० 53/2021
थाना– बाबूगढ़, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त फहीम को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 19.02.2021 के अनुसार दिनांक 17.02.2021, समय करीब 11.00 बजे दिन में बस्थान ग्राम छपकौली से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क बहन कु० एस उम्र करीब 17 वर्ष का अभिभावक की संरक्षता से व्यपहरण किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 363 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त से वादी मुकदमा की अवयस्क बहन कु० एस उम्र करीब 17 वर्ष का व्यपहरण उसको शादी करने को विवश करने के उद्देश्य से किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 366 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क बहन कु० एस उम्र करीब 17 वर्ष का व्यपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क बहन कु० एस उम्र करीब 17 वर्ष का व्यपहरण कर ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)
(J.O. CODE–UP01645)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)
(J.O. CODE–UP01645)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,हापुड़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 740/2021

सरकार बनाम फहीम आदि।

अं० धारा– 363, 366, 376 भा०दं०सं०

एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 53/2021

थाना– बाबूगढ़, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त गोपी उर्फ गगनदीप को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 19.02.2021 के अनुसार आपने वादी मुकदमा की अवयस्क बहन कु० एस उम्र करीब 17 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 19.02.2021 के अनुसार आपने वादी मुकदमा की अवयस्क बहन कु० एस उम्र करीब 17 वर्ष के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)

(J.O. CODE–UP01645)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 08.03.2022

(श्वेता दीक्षित)

(J.O. CODE–UP01645)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,हापुड़।